

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(16)राज/वाद/25

जयपुर, दिनांक 16/10/2025

::शुद्धि पत्र::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14.10.2025 के क्र0सं0 41 के सम्मुख कॉलम संख्या 9 में वर्णित कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, किशनगढ़बास, अलवर के स्थान पर कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा पढ़ा जावे।

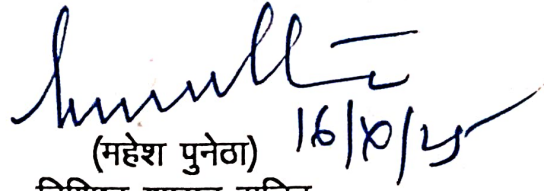
ह०

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.-3/2025-08916, दिनांक 19.09.2025 के क्रम में।
5. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जो कि किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
6. संबंधित अपर लोक अभियोजक को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी।
9. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
10. संबंधित अभ्यर्थी.....।
11. ए0सी0पी0, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 16/10/25
विशिष्ट शासन सचिव